प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या –267 / 2023

अनवान : –

1. रामूकंवर पत्नी बगड़ावत सिंह जाति राजपूत निवासी जसाना तहसील नोहर।

– वादीया

बनाम्

1. सरोज पत्नी प्रताप सिंह राजपूत जाति राजपूत निवासी जसाना तहसील नोहर।
2. भंवरी पत्नी हरू उर्फ हरिराम जाति राजपूत निवासी जसाना तहसील नोहर।
3. रतना पुत्री हरू उर्फ हरिराम जाति राजपूत निवासी जसाना तहसील नोहर।
4. विक्रमसिंह पुत्र प्रतापसिंह जाति राजपूत निवासी जसाना तहसील नोहर।
5. लक्षमणसिंह पुत्र प्रतापसिंह जाति राजपूत निवासी जसाना तहसील नोहर।
6. रविन्द्र सिंह पुत्र बगड़ावत सिंह जाति राजपूत निवासी जसाना तहसील नोहर।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता **वादीया**

निर्णय **दिनांकः 06.05.2023**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीया ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89 के तहत इस आशय का पेश किया गया की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि रोही मौजा 24 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 94 / 20 की कुल 8.1090 है0 भूमि में मृतक हरू पुत्र गणपतराम के नाम 79 / 1012 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त भूमि वादी व प्रतिवादीगण की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म जात हक हिस्सा है। वादी के पति हरू पुत्र गणपतराम का स्वर्गवास हो चुका है जिनके देहान्त के बाद कानूनी वारिस वादीया व प्रतिवादी स0 1 व 6 है तथा वादी के मृतक पति के नाम दर्ज भूमि में वादी व प्रतिवादी स0 1 व 6 का बहिब का हक हिस्सा है।

प्रतिवादीया संख्या 2 जो कि वादीया की सास है व प्रतिवादीया संख्या 3 जो कि वादीया की ननद है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह परिवार के मौजिज व्यक्तियों के सामने वादीया व प्रतिवादीया संख्या 1 के पक्ष में परित्याग कर दिया है व प्रतिवादी संख्या 4 व 5 जो कि प्रतिवादी संख्या 1 के पुत्र है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहते तथा अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा अपनी माता के पक्ष में परित्याग कर दिया है इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 6 जो कि वादीया का पुत्र है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहता तथा अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा अपनी माता के पक्ष में परित्याग कर चुका है बाद हक त्याग उपरोक्त भूमि में वादीया व प्रतिवादीया संख्या 1 [illegible] ब0 काबिज है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर (हनुमानगढ)

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:12:33 IST
Reason: SelfAttested

वादीया जिसकी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने की अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा की वादी के हक हिस्सा को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक तो आजकल आजकल करते रहे किन्तु अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है। वादी का वाद डिक्री फरमावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण स0 1 ता 6 ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए जवाब इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी डिक्री फरमाया जाता है हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नही है। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी सम्वत 2073–73 रोही मौजा 24 जेएसएन खाता स0 94/20 प्रदर्श–1, सदस्य या वारिसान प्रमाण पत्र प्रदर्श–2, मृत्यु प्रमाण पत्र बहक हरिसिंह प्रदर्श–3, मृत्यु प्रमाण पत्र प्रतापसिंह प्रदर्श–4, मृत्यु प्रमाण पत्र बहक बगड़ावत प्रदर्श–5 आदि प्रर्दशित करवाए।

साक्ष्य वादी में वादी के द्वारा शपथ पत्र बाबत मुख्य परीक्षा पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत पेश सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023 में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में प्रतिवादी स0 1 ता 6 ने वादीया के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल/आपसी सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादीया के वाद के संबंध में कोई एतराज नही हैं। अतः वादीया का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के रोही मौजा 24 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 94/20 की कुल 8.1090 है0 भूमि में मृतक हरू पुत्र गणपतराम के नाम 79/1012 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से हिन्दु परिवार की साझाा आय से अर्जित पैतृक दादालाई कृषि भूमि होना साबित है। वादी द्वारा प्रस्तुत सदस्य प्रमाण पत्र एवं पत्रावली में दर्शायें गये सजरा खानदान के अलावा मृतक हरू पुत्र गणपतराम के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण स0 1 ता 6 द्वारा जवाब इकबाल दावा पेश किया गया है कि वाद वादी डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नही है। वादीया के वाद को प्रतिवादीगण स0 1 ता 6 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादीया के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीया प्रतिवादीगण की सहमति एवं वादीया द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक [illegible] घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 24 जेएसएन तहसील नोहर के [illegible] खाता संख्या 94/20 की कुल 8.1090 है0 भूमि में से 79/101[illegible] हरू पुत्र गणपतराम का नाम कलमजन

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:12:33 IST
Reason: SelfAttested

किया जाकर वादीया व प्रतिवादीया संख्या 1 को ब0 हि0 ब0 का बतौर खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 6/5/23 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–22 एनटीआर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:12:33 IST
Reason: SelfAttested

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023
पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर०ए०एस०)**

प्रकरण संख्या –267 / 2023

अनवान : –

1. रामूकंवर पत्नी बगड़ावत सिंह जाति राजपूत निवासी जसाना तहसील नोहर।

– **वादीया**

बनाम्

1. सरोज पत्नी प्रताप सिंह राजपूत जाति राजपूत निवासी जसाना तहसील नोहर।
2. भंवरी पत्नी हरू उर्फ हरिराम जाति राजपूत निवासी जसाना तहसील नोहर।
3. रतना पुत्री हरू उर्फ हरिराम जाति राजपूत निवासी जसाना तहसील नोहर।
4. विक्रमसिंह पुत्र प्रतापसिंह जाति राजपूत निवासी जसाना तहसील नोहर।
5. लक्षमणसिंह पुत्र प्रतापसिंह जाति राजपूत निवासी जसाना तहसील नोहर।
6. रविन्द्र सिंह पुत्र बगड़ावत सिंह जाति राजपूत निवासी जसाना तहसील नोहर।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 267 सन 2023

आज यह वाद प्रशासन गांव के संग अभियान – 2023 कैम्प में मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे / निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीया साक्ष्य सबूतों एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीया डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 24 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 94 / 20 की कुल 8.1090 है० भूमि में से 79 / 1012 हिस्सा भूमि में मृतक हरू पुत्र गणपतराम का नाम कलमजन किया जाकर वादीया व प्रतिवादीया संख्या 1 को ब0 हि0 ब0 का बतौर खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500 /– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 6/5/23 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:12:33 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–22 एनटीआर